



चित्रकूट-पुलिस

(1).

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गईं।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंफलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायर्ड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि

आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलों को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका पूजा पत्नी लवकुश निवासी चकौथ थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष पति व समुरालीजनों द्वारा मारपीट कर गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति-पत्नी आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी
2. महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी
3. महिला आरक्षी नीतू नायक

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक ३०प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम में थानों पर खड़े वाहनों के निस्तारण के रूप में Operation Clean के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाहनों का मूल्यांकन एआरटीओं चित्रकूट दिनांक 27.09.2025 व 24.10.2025 के उपरान्त उपजिलाधिकारी महोदय मानिकपुर दिनांक 25.10.2025 के माध्यम से नीलामी की तारीख नियत करते हुए क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी, नायब तहसीलदार श्री दयाशंकर वर्मा, हेमु ०० चन्द्रपाल की उपस्थिति में थाना परिसर रैपुरा में खड़े 23 मोटर साइकिल लावारिस/जब्तशुदा की नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी, जिसके क्रम में आज दिनांक 14.11.2025 को बोली लगाने हेतु उपस्थित ३७ व्यक्तियों के सामने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बोली प्रारम्भ की गयी। सभी 23 वाहनों की अन्तिम बोली सादाब अंसारी निवासी बांदा द्वारा ६२००/- रुपये बोली गयी जिसे अन्तिम रूप देते हुए कागजात तैयार कर वाहनों को अंतिम बोली दाता को सुपुर्द कर रूकसत किया गया। इस प्रकार थाना परिसर रैपुरा में खड़े 23 मोटर साइकिल वाहनों की नीलामी कार्यवाही पूर्ण की गयी।

(4). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी माह नवम्बर-2025 को यातायात माह के रूप में मनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 14-11-2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चेयरमैन राजापुर श्री संजीव मिश्रा सहयोग से क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल एवं प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह द्वारा २० हेलमेट विवरण कर द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

1. दो-पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना।
2. कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना।
3. कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनना।
4. वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करना तथा कोई SMS नहीं भेजना व देखना।

5. हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना तथा अपने परिजनों से पालन करने हेतु बताना।

6. सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहना।

क्षेत्राधिकारी राजापुर, प्रभारी निरीक्षक राजापुर एवं चेयरमैन राजापुर द्वारा इस हेलमेट वितरण कार्यक्रम के तहत लोगों से यातायात नियमों का पालन करने हेतु अपील किया गया, जिससे सड़क दुर्घटना में कही आयेगी।

(5). आज दिनांक 14.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पिछले दिनों दिल्ली में हुई बम विस्फोट की घटना के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में थाना क्षेत्र मऊ में संयुक्त रूप से विस्फोटक पदार्थ एवं अमोनियम नाइट्रेट की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध स्थानों, गोदामों, दुकानों एवं वाहनों की गहन जांच की गई तथा संबंधित लोगों को विस्फोटक पदार्थों के अवैध भंडारण, खरीद-फरोख्त एवं उपयोग न करने के संबंध में कड़ी चेतावनी दी गई। इस दौरान अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के नागरिकों से अपील की गई कि यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या सामग्री की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचित करें, जिससे जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। चेकिंग अभियान के दौरान अपराध निरीक्षक मऊ श्री अंजनी कुमार सिंह, फायर सर्विस टीम एवं थाना मऊ पुलिस बल मौजूद रहा।

इसी प्रकार थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा थाना क्षेत्र पहाड़ी के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ एवं अमोनियम नाइट्रेट की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा के मार्गदर्शन में थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.11.2025 को थाना रैपुरा अन्तर्गत बन विभाग नर्सरी के पास अगरहुड़ा में ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना का खुलासा घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. ज्ञानी उर्फ ज्ञान सिंह निवासी कट्टू उर्फ शिवकुमार सिंह निवासी लौटिया माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 25 वर्ष

2. लुट्टू उर्फ धर्मवीर सिंह पुत्र स्व 0 नत्यू प्रसाद निवासी तरकहवा पुरवा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी:-

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद बुलेट गाड़ी UP 96 Q 7580

2. लूट के 250/- रुपये

फरार अभियुक्त

1. अखिल कुमार पुत्र मुन्ना लाल राजपूत निवासी तरकहवा पुरवा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

ग्राम अरवारा में बन्द पड़े प्लाट से करीब 50 मीटर दूर, दिनांक 13.11.2025, 23.15 बजे

सक्षिप्त विवरण:-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.11.2025 को वादी मंसूर अली पुत्र अजीज अहमद निवासी सैयद सरावा थाना चरवा जिला कौशाम्बी द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 12.11.25 को जनपद कौशाम्बी से डीसीएम में माल लादकर जबलपुर जा रहा था कि थाना क्षेत्र रैपुरा के अन्तर्गत वन विभाग के नर्सरी के पास स्थित अगरहुड़ा पुलिया के पास मेरी डीसीएम के आगे बुलेट गाड़ी लगाकर बुलेट सवार तीनों व्यक्ति उतरे मुझे और मेरे साथी मोहम्मद कैस पुत्र मोहम्मद असलम निवासी मूरतगंज कसिया थाना संदीपन घाट जिला कौशाम्बी को जबरजस्ती गाड़ी से उतार लिये और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे उसके बाद मेरा पर्स व मेरे साथी का पर्स एवं मोबाइल एण्ड्राइड फोन रेडमी कम्पनी लूट कर भाग गये इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु030030 276/2025 धारा 309(4),115(2),352 बीएनएस बनाम अज्ञात तीन व्यक्ति पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 02 टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु उचित दिशा निर्देश दिये गये थे। थाना रैपुरा की पुलिस टीम के द्वारा लगातार प्रयास करने के दौरान मुखविर की सूचना के आधार पर वन विभाग नर्सरी के पास स्थित अगरहुड़ा पुलिया के पास जो लोग मारपीट एवं लूट की घटना किये थे। वे लोग अरवारा गांव से पहले बन्द पड़े प्लाट के पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 दिनेश कुमार पाण्डेय मय टीम बन्द पड़े प्लाट के थोड़ा पहले पहुंचे तो सामने से आ रहे बुलेट सवार पुलिस वालों को देखकर भागने के प्रयास से अपनी बुलेट गाड़ी मोड़ दियो। पुलिस टीम द्वारा अरवारा में बन्द पड़े प्लाट से करीब 50 मीटर दूर दोनों व्यक्तियों को मय बुलेट गाड़ी के पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1.ज्ञानी उर्फ ज्ञान सिंह निवासी कहू उर्फ शिवकुमार सिंह निवासी लौटिया माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 25 वर्ष बताया जिसके पास से पर्स में रखे 130/- रूपये, आधार कार्ड, ट्रक चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स, ई-श्रम कार्ड बरामद हुआ तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2. लुहू उर्फ धर्मवीर सिंह पुत्र स्व0 नत्थू प्रसाद निवासी तरकहवा पुरवा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 27 वर्ष बताया जिसके पास से 120/- रूपये, मोहम्मद कैश का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स बरामद हुआ तथा बुलेट गाड़ी सहित दोनों अभियुक्तों को समय 23.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि दिनांक 12.11.25 को हम तीन लोग बुलेट गाड़ी से लौटियामाफी जा रहे थे। बुलेट गाड़ी मेरे भाई का लड़का अखिल कुमार पुत्र मुन्ना लाल राजपूत चला रहा था। रास्ते में अगरहुड़ा वन विभाग की नर्सरी स्थित पुलिया के पास हम तीनों लोगों ने एक डीसीएम गाड़ी को अपनी बुलेट को उसके आगे लगाकर रूकवाया था। डीसीएम गाड़ी में बैठे ड्राइवर व खलासी को खीचकर नीचे उतारा और उन दोनों आदमियों से गाली गलौज करते हुए मारपीट करके मोबाइल और दो पर्स लूट लिया था। दोनों पर्स में कुछ पैसे और आईडी कार्ड थे, जो आज पर्स, पैसा और आईडी कार्ड हम लोगों के पास से मिला है ये उस दिन के लूट का है। मोबाइल और कुछ पैसे अखिल के पास है। बुलेट गाड़ी के बारे में पूछा गया तो दोनों ने बताया कि यह गाड़ी वरिन्द्र कुमार पुत्र शंकर निवासी घरघना भौंरी रैपुरा का है। बरामद बुलेट गाड़ी को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय
- 2.उ0नि0 श्री अखिलेश यादव
- 3.उ0नि0 श्री सुनील कुमार
- 4.मुख्य आरक्षी नागेन्द्र सिंह
- 5.आरक्षी शिवम् मिश्रा
- 6.आरक्षी चालक पवन यादव

(7). आज दिनांक 14.11.2025 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल द्वारा थाना पहाड़ी के समस्त विवेचकों का अर्दली रुम निम्न बिन्दुओं पर किया गया ।

- 1.लंबित विवेचनाएं व अहकामाता।
 - 2.E-साक्ष्य ऐप से अधिकाधिक SID जेनरेट कर FIR से लिंक करना।
 - 3.E-summon का समयबद्ध तामीला।
 - 4.E-challan की समुचित कार्यवाही।
 - 5.IGRS/प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण।
 - 6.प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही।
 - 7.चोरी, नकबजनी, टप्पेबाजी की घटनाओं का सफल अनावरण व प्रभावी रोकथाम।
 - 8.महिला/दलित उत्पीड़न संबंधी अपराधों में प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही ।
 - 9.CS/FR का माननीय न्यायालय में दाखिला के संबंध में।
 - 10.फरियादियों के साथ मूदुल व्यवहार, उनकी समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय देना तथा तदनुरूप आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाकर समस्या का समुचित निस्तारण करना आदि।
 - 11.क्षेत्र में अनवरत फैल रही अफवाहों के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करना, अफवाहों पर ध्यान न देना, अफवाहों की जांच कर समुचित कार्यवाही करना तथा अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों पर विधिक कार्यवाही करना ताकि कोई भीड़ हत्या जैसा कोई गंभीर अपराध घटित न होने पाए।
- थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।